


# अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

सदिग्ध/अवेध जमाबंदी एवं अप्रतिवेध संशुद्धि 63/2018-19  
 बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं जांचोपरांत से संबंधित।

दिनांक	आदेश संख्या	प्रतिवेधित
10/01/19	झारखंड सरकार के आदेश-2018/राज दिनांक-13.05.2018	
<p>संबंधित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-आयन-सह-विभाग सविब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-2018 नं० निधि-119/85/2308/राज दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-914/राज दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेधित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मौजा-<u>खोला</u> मौजा नं०-<u>86</u> खाता नं० <u>196</u>                  प्लॉट नं० <u>2165</u> रकबा <u>55.510</u> की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या <u>01</u> के पृष्ठ संख्या <u>215</u> पर जमाबंदी रैयत <u>श्रीमती</u>  <u>सुजा नि. अश्विनी मोहन</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विस्तृत कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिवेधित किया गया है। जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवेध बंदोबस्ती के आधार प/अवेध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवेध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजि लाम एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवेध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर अंचल-निरीक्षक का मंतव्य प्राप्त करे।                  अभिलेख दिनांक <u>28/01/19</u> को रखे।</p>		
		<p>                  13.3.19                  अंचल अधिकारी,                  धनबाद।</p>

24/01/19

अभिलेख उपस्थापित (अभिलेख, जो धनबाद / प्रतिवेदन अर्थात् है)  
अभिलेख दिनांक 10/4/19 को रखे।

अचल अधिकारी  
धनबाद।

10/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अचल अधिकारी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।  
अभिलेख दिनांक 24/4/19 को रखे।

अचल अधिकारी  
धनबाद।

10/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मंताय सहित प्राप्त।  
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक  
20/6/20 को रखे।

अचल अधिकारी  
धनबाद।

20/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा  
दौया मौजा नं० 06 खाता 196 प्लॉट  
नं० 2165 रकबा 55.50 भूमि से संबंधित है। आवेदित  
भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत  
के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का  
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित  
भूमि दाखिल खार्जिज केस नं० 125 (11) 43-44 के अनुसार कायम है।  
तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को संदेहास्पद माना गया  
है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द  
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि  
सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधत।

अचल अधिकारी,  
धनबाद।

अचल अधिकारी,  
धनबाद।